APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......सहायक कलक्टर (SDO),बाड़मेर......मुकाम......................

......पन्नाराम वगैराह......बनाम......अच्छत कंवर वगैराह......

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नं. 512/ सन 2025

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
04.07.25	प्रार्थीगण पन्नाराम वगैराह की ओर से वकील श्री राणाराम गौड़ द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की ईकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। विप्रार्थी गुलाबसिंह द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि मौजा जालीपा, पटवार हल्का जालीपा के खेत खसरा नम्बर 357/118 रकबा 2.9623 हैक्टेयर भूमि से सम्बन्धित राजस्व वाद सं0 143/2025 पेश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। इस प्रकार एक ही वादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्ष द्वारा एक से अधिक बंटवाड़ा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद एवं आवेदन पेश किये गये है। प्रार्थी पन्नाराम वगैराह द्वारा पेश मूल वाद को वाद सं0 143/2025 अनवान गुलाबसिंह बनाम सरूपसिंह वगैराह के साथ हमफीता किया गया है। लिहाजा वाद बहुलता रोकने हेतु इस आवेदन को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्ष वाद सं0 143/2025 अनवान गुलाबसिंह बनाम सरूपसिंह वगैराह जिसमें आगामी पेशी तारीख 14.07.2025 है, में प्रभावी पेरवी करावें। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO),बाड़मेर	